कार्यालय बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा

पत्रांक : /.........................यो0भू0सं0– ----------------------- /दिनांकः

आवंटन–पत्र

....

....

....

कृपया पूर्व में ....योजना हेतु आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि रू0 .... जमा की गयी थी। पंजीकरण के सापेक्ष दिनांक ....को सम्पन्न लाटरी द्वारा आपको निम्नलिखित भूखण्ड आवंटित हुआ था जिसके सम्बन्ध में मुख्य शर्ते एवं भुगतान पद्धति का विवरण निम्नवत् है :–

1. पंजीयन पुस्तिका के अनुसार आपको आवंटित भूखण्ड का सामान्य प्रारम्भिक मूल्य रू0 ....है। पंजीयन पुस्तिका अनुसार लाटरी द्वारा आवंटन के पश्चात् 30 प्रतिशत रू0 ....आवंटन पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिन में जमा करना होगा। आवंटन धनराशि निर्धारित समय में जमा न करने की दशा में 16 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज देय होगा, जो तीन माह तक मान्य होगा। उसके उपरान्त दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
2. भूखण्ड के मूल्य की अवशेष धनराशि .... समान छैमाही किस्तो में प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। प्रत्येक किस्त की धनराशि ब्याज सहित रू0 ....है। प्रथम किस्त की देयता आवंटन पत्र की तिथि से .... माह की अवधि तक होगी।
3. आवंटी को भूखण्ड के वास्तविक माप के अनुसार कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, 18मीटर व 30 मीटर व उससे अधिक चौडी सड़क पर 10 प्रतिशत एवं पार्क फेसिंग पर 05 प्रतिशत का भुगतान अतिरिक्त रूप से करना अनिवार्य होगा।
4. आवंटन उपरान्त एकमुस्त धनराशि (आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30दिन के अन्दर) जमा करने पर भूखण्ड की कुल धनराशि में 05प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
5. आवेदक/आवंटी को भूखण्ड आवंटित होने पर उसे उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–2 या 4 जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समय के अन्दर भुगतान नही होता है तो आवंटन धनराशि जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से वास्तव में भुगतान करने की तिथि तक 16 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा उस दर पर जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी, भुगतान करना होगा।
6. निर्धारित किश्तों का उपरोक्तानुसार नियमित भुगतान न करना आवंटन की शर्तो की अवहेलना के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को है।
7. आवंटन के उपरान्त निर्धारित राशि नियत समय (30 दिन के अन्दर) जमा न होने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप भूखण्ड लेने के इच्छुक नही है और आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा कुल धनराशि से 10 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि रेखांकित चेक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
8. पंजीयन पुस्तिका में अंकित/दिये गये निर्देशो के अनुसार दायित्वों का निर्वाह करना अनिवार्य है। वास्तविक मापानुसार एवं आकलन अनुसार वास्तविक देयता की सूचना आवंटी को दी जायेगी। यदि डिक्रीटल राशि के कारण कोई संशोधन होता है तो उसके आधार पर भी संशोधन किया जायेगा। जिसके भुगतान का दायित्व भी आवंटी का होगा।
9. विलम्ब पर ब्याज 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। जैसा की पंजीयन पुस्तिका में अंकित है।
10. आवंटी को भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग हेतु दिया जायेगा। किसी अन्य उपयोग के लिये नही होगा।
11. आवंटी को भूखण्ड के हिस्सों में विभाजन अथवा अपने हिस्से में अन्य सम्पत्ति जोडने का अधिकार नही होगा।
12. आवंटी को विलेख निष्पादन हेतु समस्त व्यय वहन करना होगा। आवंटी को रजिस्ट्री होने के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा प्रदान किया जायेगा।
13. आवंटी द्वारा भूखण्ड की कुल लागत की 12 प्रतिशत धनराशि लीज रेन्ट/फ्री होल्ड चार्ज अनिवार्य रूप से जमा करना अनिवार्य होगी। किसी भी विवादित मामले में उपाध्यक्ष, प्राधिकरण बांदा का निर्णय अन्तिम होगा।
14. आपके द्वारा जमा धनराशि पर देय ब्याज (यदि कोई हो) का समायोजन भूखण्ड के अन्तिम मूल्याकन में (रजिस्ट्री कराते समय) किया जायेगा।

सचिव

बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा